राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–671/2023

डॉ. सीमा माथुर **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, पशु पालन विभाग, राजस्थान जयपुर ।
3. संयुक्त निदेशक पशु पालन विभाग, अजमेर।
4. डॉ. शुभेदु दीक्षित, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक, पशु पालन विभाग, अजमेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 24.01.2023
आदेश की दिनांक : 30.05.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : **श्री हेमन्त धारीवाल, अभिभाषक**
निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 की ओर से : श्रीमती रेखा दीक्षित, उपस्थित

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में उप निदेशक के पद पर कार्यालय अतिरिक्त निदेशक (क्षेत्र) पशुपालन विभाग अजमेर में कार्यरत है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 13.01.2023 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी को वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी मानते हुए निम्नतर पद पर कार्यालय उप निदेशक पशुधन विकास, अजमेर में स्थानान्तरित कर दिया गया जबकि अपीलार्थी उप निदेशक के पद पर कार्यरत है। उनका कथन है कि राजस्थान सेवा नियम के नियम 20 के उल्लंघन में उक्त आलोच्य आदेश जारी किया गया है जो विधि विरूद्व हैं। अपीलार्थी का स्थानान्तरण निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को संमजित करने के आशय से किया गया है। अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति में एक वर्ष 4 माह से भी कम का समय शेष है। फिर भी अपीलार्थी का स्थानान्तरण कर दिया गया जबकि दो वर्ष शेष रहने पर किसी भी कार्मिक का स्थानान्तरण नहीं किया जाना चाहिए। अपीलार्थी के घुटनों का ऑपरेशन हुआ है जिससे उसे

आवागमन में व्यक्तिगत कठिनाईयॉ होती है। फिर भी अपीलार्थी का आलोच्य आदेश के द्वारा स्थानान्तरित कर दिया गया जो नियम विरूद्व है अतः अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 13.01.2023 अनुलग्नक–1 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे और उसे यथावत कार्य करने के निर्देश दिये जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के राजकीय विद्वान अधिवक्ता ने अपील का जवाब प्रस्तुत करते हुए बहस की है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया है और किसी भी कार्मिक को एक ही स्थान पर रहने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अपीलार्थी को अजमेर से अजमेर में ही स्थानान्तरण किया गया है और आदेश दिनांक 21.03.2023 के द्वारा स्थानान्तरण आदेश दिनांक 13.01.2023 में क्रम संख्या 54 पर अंकित अपीलार्थी के नाम के सम्मुख पद एसबीओ के स्थान पर उप निदेशक पडा जाना संशोधित कर दिया गया है जो अनुलग्नक–आर–1 से प्रकट होता है। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए कथन किया है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण नियमानुसार आदेश द्वारा किया गया हैं जिसमें कोई नियम विरूद्वता दर्शित नहीं होती है और विभाग के उसी परिसर से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थानान्तरण किया गया है। यदि अपीलार्थी को कोई शारीरिक पीडा है तो उसे विभाग के समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहिए। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील में कोई बल प्रकट नहीं होता है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने जवाब का उल जवाब प्रस्तुत करते हुए यह बहस की है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजस्थान सेवा नियम के नियम 20 के उल्लंघन में उसे निम्नतर पद पर पदस्थापित किया गया है जो नियम विरूद्व है और उसका स्थानान्तरण मनमाने तरीके से किया गया है जो अवैध है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी के प्रत्यर्थी विभाग के अधीन उप निदेशक के पद पर कार्यालय अतिरिक्त निदेशक (क्षेत्र) पशुपालन विभाग अजमेर में कार्यरत है। जहां तक अपीलार्थी को आलोच्य आदेश दिनांक 13.01.2023 (अनुलग्नक–1) के द्वारा वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी मानते हुए निम्नतर पद पर कार्यालय उप निदेशक पशुधन विकास, अजमेर

में स्थानान्तरित किये जाने का प्रश्न है, हमारे विनम्र मत में अनुलग्नक–आर–1 दिनांक 21.03.2023 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा एक आदेश जारी किया गया है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि '' इस विभाग के स्थानान्तरण आदेश दिनांक 13.01.2023 में क्रम संख्या 54 पर अंकित डॉ. सीमा माथुर के नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 3 में पद एसबीओ के स्थान पर उप निदेशक पडा जावे'' इससे हमारे विनम्र मत में यह स्पष्ट होता है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा स्थानान्तरण आलोच्य आदेश में टाईपिंग एरर होने के कारण उप निदेशक के स्थान पर एसबीओ अंकित हुआ है। जिसे विभाग द्वारा आदेश दिनांक 21.03.2023 के द्वारा संशोधित कर दिया गया है जिसमें किसी प्रकार की नियमों का उल्लंघन होना प्रकट नहीं होता है। अतः अपीलार्थी के इस तर्क में कोई बल प्रतीत नहीं होता है।

जहां तक सेवानिवृत्ति में दो वर्ष से कम का समय रहने के वाबजूद अपीलार्थी का स्थानान्तरण किये जाने का प्रश्न है, हमारे विनम्र मत में स्थानान्तरण आदेश दिनांक 13.01.2023 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी को अजमेर से अजमेर ही लगभग 200 मीटर की दूरी पर ही स्थानान्तरण किया गया है और स्थानान्तरण होने से अपीलार्थी की ट्रेजरी परिवर्तित नहीं हुई है। अतः अपीलार्थी का यह तर्क भी बलहीन है। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण एतद्द्वारा खारिज की जाती है एवं अधिकरण द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 02.02.2023 की पुष्टि कर प्रावकाश (Vacate) किया जाता है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य